



सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

21 Falgun, 1941(S)

No. 145

Ranchi, Wednesday, 11th March, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 27/2019 – State Tax(Rate)

S.O. No. 13 Dated- 11th March, 2020-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in Schedule II - 6%, serial numbers 80AA and 171A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) in Schedule III - 9%, after serial number 163A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

“163B	3923 or 6305	Woven and non-woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods;
163C	6305 32 00	Flexible intermediate bulk containers”.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of January, 2020.

[File.No Va Kar / GST / 03/ 2019]

By the order of the Governor of Jharkhand,

Sukhdev Singh,
Additional Chief Secretary.

Note: - The principal notification No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017 and was last amended by notification No. 14/2019-State Tax(Rate), dated the 01st November, 2019, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 82, dated the 01st November, 2019.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 27/2019- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 13 दिनांक 11 मार्च, 2020-- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (क) अनुसूची II - 6% में, क्रम संख्या 80 कक और 171क और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ख) अनुसूची III - 9% में, क्रम संख्या 163क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)
"163ख	3923 या 6305	पॉलिइथीलीन या पॉलिप्रोपाइलीन स्ट्रिप्स और इसी प्रकार के प्रदार्थों से बने व्युत्तित और अव्युत्तित बैग्स और सैक्स, चाहे ये लेमिनेटेड हों या नहीं, जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो;
163ग	6305 32 00	फ्लैक्सिबिल इंटरमीजिएट बुल्क कंटेनर्स"।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2020 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा0कर/जी0एस0टी0/03/2019]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

सुखदेव सिंह,

अपर मुख्य सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2019- राज्य कर (दर), दिनांक 01 नवम्बर, 2019, एस. ओ. सं. 82, दिनांक 01 नवम्बर, 2019 को झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।